**मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,**
**26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड भोपाल**

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख / 858 / 3473 भोपाल दिनांक 17/ 11 / 2020

प्रति,

1. संयुक्त / उपसंचालक
   म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड
   आंचलिक कार्यालय .................... समस्त

2. कार्यपालन यंत्री
   म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   तकनीकी संभाग ............................ समस्त

3. भारसाधक अधिकारी / सचिव
   कृषि उपज मंडी समिति,.................. समस्त

विषय :– म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं कृषि उपज मंडी समितियो के कर्मचारियो हेतु **विशेष त्यौहार अग्रिम योजना वर्ष 2020–21** के संबंध में।

संदर्भ :– म.प्र.शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल का ज्ञाप क्रमांक / 72 / 382 / ब–6 / चार / 2020 दिनांक 04.11.2020 तथा ज्ञाप क्रमांक / 74 / 382 / ब–6 / चार / 2020 दिनांक 06.11.2020

**1/** संदर्भित ज्ञाप अंतर्गत कोविड 19 की आपदा के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियो में सक्रियता लाने के उद्देश्य से राज्य शासन के नियमित, कार्यभारित, तदर्थ, संविदा कर्मी., स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी एवं राज्य शासन से शत प्रतिशत अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कर्मीयो हेतु विशेष त्यौहार अग्रिम योजना वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये लागू की गई है। उक्त योजना के बिंदु क्रमांक 01 में निर्धारित पात्रता को म.प्र.शासन वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक / 74 / 382 / ब–6 / चार / 2020 दिनांक 06.11.2020 से संशोधित किया गया है। इन दोनो ज्ञापो की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

उपरोक्त विशेष त्यौहार अग्रिम योजना वर्ष 2020–21 को संदर्भित ज्ञाप दिनांक 04.11.2020 एवं ज्ञाप दिनांक 06.11.2020 में निर्धारित पात्रता तथा शर्तो के अध्याधीन म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड अंतर्गत राज्य मंडी बोर्ड सेवा के कर्मचारियो के लिये लागू करने का निर्णय लिया गया है। विशेष त्यौहार अग्रिम स्वीकृत करने के लिये संबंधित कार्यालय प्रमुख अधिकृत होंगे।

**2/** प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा मंडी समिति सेवा के कर्मचारियों के लिये विशेष त्यौहार अग्रिम योजना 2020–21 के बिंदु क्रमांक 03 के प्रावधान अंतर्गत अपनी वित्तीय स्थिति के आधार पर उक्त योजना को लागू करने के संबंध में निर्णय लिया जावेगा।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

17.11.20
(संदीप यादव)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक / बोर्ड कार्मिक / ख / 858 / 3474

भोपाल दिनांक 17 / 11 / 2020

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग सह अध्यक्ष मंडी बोर्ड भोपाल।

2. अपर संचालक (वित्त) मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।

17.11.20

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

मध्य प्रदेश शासन

वित्त विभाग

मंत्रालय

क्रमांक 74 /382/ब-6/चार/2020 भोपाल दिनांक 06 /नवम्बर/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग

अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर

समस्त संभागीय आयुक्त

समस्त विभागाध्यक्ष

समस्त जिलाधीश

मध्य प्रदेश।

विषयः- राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिये विशेष त्यौहार अग्रिम योजना।

संदर्भ :- वित्त विभाग का आदेश क्रमांक 72/382/ब-6/2020 दिनांक 4.11.2020

---

उपरोक्त संदर्भित आदेश से राज्य शासन के कार्मिकों के लिये विशेष त्यौहार अग्रिम योजना वर्ष 2020-21 हेतु प्रभावशील की गयी है। **जिसके पैरा-2 (I) पात्रता (ब)** निम्नानुसार है:-

*" ऐसे कार्मिक जिनकी 7वें वेतनमान में कुल मासिक उपलब्धियां (मूलवेतन + मंहगाई भत्ता) रुपये 40,000/- अथवा इससे कम है। स्थायीकर्मियों के लिये वेतन की मासिक सीमा रू 12,000/- अथवा इससे कम होगी ।"*

उक्त संबंध में ऐसे कार्मिक, जो पॉचवे अथवा छठवे वेतनमान में वेतन आहरित कर रहें अथवा वेतन मानदेय के रूप में प्राप्त कर रहें है को उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने में आ रहीं व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत आदेश में उल्लेखित **पैरा-2 पात्रता (ब)** को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(ब) "ऐसे कार्मिक जिनकी माह अक्टूबर 2020 (पेड इन नवम्बर) को देय कुल मासिक उपलब्धियां [ मूल वेतन + ग्रेड वेतन (जहां लागू हो) + महंगाई भत्ता] /मानदेय/पारिश्रमिक इत्यादि रू 40,000/- अथवा इससे कम है।"

उपर्युक्त संशोधन से समस्त अधीनस्थों को अवगत कराते हुये कृपया सामयिक आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

6.11.2020

(अखिल कुमार वर्मा)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

कोई कार्यवाही

16.11.20

पृ0 क्रमांक 75/382/ब-6/चार /2020 भोपाल दिनांक 06/नवम्बर /2020

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल म0प्र0 के सचिव राजभवन भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 विधानसभा भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल।
4. निबंधक उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
5. सचिव लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश इन्दौर।
6. सचिव लोका आयुक्त म0प्र0 भोपाल।
7. विशेष सहायक मंत्री/राज्य मंत्री म0प्र0 शासन भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में ।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग म0प्र0 भोपाल।
10. रजिस्ट्रार म0प्र0 राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इन्दौर /ग्वालियर।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता म0प्र0 भेपाल/इन्दौर /ग्वालियार।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट) 1/2 म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
13. सचिव, व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म0प्र0 भोपाल।
14. सचिव, कर्मचारी कल्याण डी-1 गोमतिका परिसर भोपाल।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
16. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल म0प्र0 की ओर बीसीओ से पुनर्विनियोजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही हेतु।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
18. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल म0प्र0।
19. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रिय मुद्रणालय भोपाल की ओर राज्य पत्र मे प्रकाशन के लिये।
20. अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना शखा/अधीक्षण शाखा /अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय भोपाल।
21. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय भोपाल।
22. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन म0प्र0।
23. सभी प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, म0प्र0।
24. संयुक्त संचालक जन संपर्क प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल।
25. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।
26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी।
27. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(राकेश कुमार सक्सेना)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 72/382/ब-6/चार/2020 भोपाल दिनांक 04/नवम्बर/2020

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, ग्वालियर
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त जिलाधीश
मध्य प्रदेश।

विषयः- राज्य शासन के शासकीय सेवकों के लिये विशेष त्यौहार अग्रिम योजना।

संदर्भ :- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक 7/ वि.स. उप.चु./2020/अनुमति/ 8671 भोपाल दिनांक 2.11.2020

-------

कोविड-19 की आपदा के कारण प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों मे भी अपेक्षित सक्रियता का अभाव है। प्रदेश मे आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय करने के लिये आवश्यक है कि उपभोक्ता खपत को बढाया जावे।

2 अतः राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के कार्मिकों यथा - नियमित, कार्यभारित, तदर्थ, संविदा कर्मी, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी एवं राज्य शासन के शत्-प्रतिशत् अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कार्मिकों के लिये विशेष त्यौहार अग्रिम योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये एत्तदारा स्वीकृति दी जाती है।

विशेष त्यौहार योजना अन्तर्गत अग्रिम स्वीकृति के लिये निम्नानुसार मापदण्ड रहेंगे:-

(I). <u>पात्रता</u> (अ) राज्य शासन के कार्मिकों यथा -नियमित, कार्यभारित, तदर्थ, संविदा कर्मी, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी एवं राज्य शासन के शत्-प्रतिशत् अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कार्मिक।

(ब) ऐसे कार्मिक जिनकी 7वें वेतनमान में कुल मासिक उपलब्धियां (मूलवेतन + मंहगाई भत्ता) रुपये 40,000/- अथवा इससे कम है। स्थायीकर्मियों के लिये वेतन की मासिक सीमा रू 12,000/- अथवा इससे कम होगी ।

(II). <u>अधिकतम अग्रिम</u>- राशि रुपये 10,000/- (ब्याज रहित)।

(III). <u>अग्रिम का समायोजन</u>- अधिकतम 10 समान किश्तों मे अथवा सेवानिवृत्ति /संविदा अवधि समाप्ति की तिथि, जो भी पूर्व हो।

(IV). **योजना की अवधि**- दिनांक 01/11/2020 से दिनांक 31/03/2021 तक रहेगी। योजना अंतर्गत दिनांक 31/03/2021 तक ही आहरण किया जा सकेगा।

(V). **व्यय शीर्ष**- यह अग्रिम, उद्देश्य शीर्ष वेतन के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष त्यौहार अग्रिम के आबंटन के विरूद्ध स्वीकृत किया जायेगा, अन्य के लिये अग्रिम का आहरण वेतन/मजदूरी अथवा अन्य व्यय शीर्ष से आहरित किया जायेगा।

(VI). **पूर्व अग्रिम**- यदि किसी कार्मिक के द्वारा पूर्व में प्रचलित योजना/नियम के अंतर्गत त्यौहार अग्रिम प्राप्त किया गया है तब उस अग्रिम की शेष राशि को वर्तमान स्वीकृत अग्रिम की राशि से जोडकर कुल राशि का समायोजन आगामी अधिकतम 10 किश्तों मे किया जायेगा।

(VII). **त्यौहार**- आवेदक द्वारा आवेदन मे अंकित त्यौहार ही इस विशेष अग्रिम के लिये मान्य होगें। आवेदन का प्रारुप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(VIII). **स्वीकृतकर्ता अधिकारी**- कार्यालय प्रमुख स्वीकृति के लिये अधिकृत होगें एवं अग्रिम के समायिक समायोजन का भी उत्तरदायित्व उनका होगा।

(IX). **आबंटन**- संबंधित व्यय शीर्ष मे प्रावधान अपर्याप्त होने पर संबधित बजट नियंत्रण अधिकारी वेतन मद के प्रावधान से पुनर्विनियोजन के लिये अधिकृत होगें।

(3) प्रदेश के निगम/मंडल/सार्वजनिक उपक्रम/स्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय /आयोग भी स्वंय की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस योजना को अपने कार्मिकों के लिये लागू के संबंध में निर्णय लेने के लिये स्वयं सक्षम होगें।

(4) उपर्युक्त निर्देशों से समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुये कृपया सामयिक आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित करें।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5/11/2020

(अखिल कुमार वर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ0 क्रमांक 73/382/ब-6/चार /2020 भोपाल दिनांक 04/नवम्बर /2020

प्रतिलिपि-

1. राज्यपाल म0प्र0 के सचिव राजभवन भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 विधानसभा भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल।
4. निबंधक उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर।
5. सचिव लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश इन्दौर।
6. सचिव लोका आयुक्त म0प्र0 भोपाल।
7. विशेष सहायक मंत्री/राज्य मंत्री म0प्र0 शासन भोपाल।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल की ओर संदर्भित पत्र के अनुक्रम में।
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग म0प्र0 भोपाल।
10. रजिस्ट्रार म0प्र0 राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इन्दौर /ग्वालियर।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता म0प्र0 भेपाल/इन्दौर /ग्वालियार।
12. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट) 1/2 म0प्र0 ग्वालियर/भोपाल।
13. सचिव, व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म0प्र0 भोपाल।
14. सचिव, कर्मचारी कल्याण बी-1 गोमतिका परिसर भोपाल।
15. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
16. आयुक्त, कोष एवं लेखा भोपाल म0प्र0 की ओर बीसीओ से पुनर्विनियोजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही हेतु।
17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय म0प्र0 भोपाल।
18. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल म0प्र0।
19. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रिय मुद्रणालय भोपाल की ओर राज्य पत्र मे प्रकाशन के लिये।
20. अवर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग स्थापना शखा/अधीक्षण शाखा /अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी मंत्रालय भोपाल।
21. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय भोपाल।
22. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन म0प्र0।
23. सभी प्राचार्य लेखा प्रशिक्षण शाला, म0प्र0।
24. संयुक्त संचालक जन संपर्क प्रकोष्ठ मंत्रालय भोपाल।
25. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघ।
26. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी।
27. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(राकेश कुमार सक्सेना)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

**परिशिष्ट-1**

कर्मचारी क्रमांक ........................

कार्यालय ................................

## //विशेष त्यौहार अग्रिम हेतु प्रार्थना पत्र//

टीपः- स्वीकृतकर्ता अधिकारी की ओर त्यौहार के सात कार्य दिवस के पूर्व भेजा जावे

1 शासकीय सेवक का पूरा नाम, पद तथा विभाग ..................................................

..................................................

..................................................

2 टीप- यदि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो तो पिता का नाम भी लिखा जावे. ..................................................

3 सेवा का प्रकार स्थाई/अर्द्धस्थाई/ अस्थाई/ कार्यभारित/तदर्थ/ संविदा कर्मी/ स्थाई कर्मी/दैनिक वेतन भोगी/ राज्य शासन के शत्-प्रतिशत् अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कर्मी. ..................................................

4 मिलने वाला वेतन,मंहगाई भत्ता ..................................................

5 त्यौहार का नाम जिसके लिये चाहिए ..................................................

6 अग्रिम की धनराशि जो चाहिए ..................................................

7 गत अवसर अग्रिम लिया गया था यदि हां तो अग्रिम जो जमा होना शेष है. ..................................................

8 अग्रिम हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक ..................................................

प्रार्थी के हस्ताक्षर ........................................

नाम, पद ........................................

विभाग ........................................

सक्षम पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा